# Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

| S.No. | | |
|---|---|---|
| 18 | Recommendation of the State Government:-<br>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर को बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वन भूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। |

Signature

Date : 06 -04-2023

Place : Raipur

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Deptt. of Forest & Climate Change

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary,
C.G. Govt.,
Forest & Climate Change Department

# छत्तीसगढ़ शासन
# वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
# मंत्रालय,
# महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–03/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 /04/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ 492015।

विषयः– बलरामपुर जिले के बलरामपुर तथा सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Widening of Existing Road from Ambikapur to Ramanujganj 2 Lane/4 Lane National Highway 343 in the State of Chhattisgarh हेतु रकबा 102.324 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–845/146, दिनांक 17.01.2023 तथा पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–845/665, दिनांक 20.03.2023।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 1 | **आवेदक विभाग का मांग पत्र –**<br>आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वन भूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।<br>**वनमंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–** (see table below) | 1 – 11 |
| 2 | **प्रपत्र–I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –**<br>वनमंडलाधिकारी/नोडल अधिकारी बलरामपुर वनमण्डल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/147299/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.12.2021 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 58,000 रूपये जमा कराया गया है। | 12 – 16 |

| क्र | वनमंडल | आरक्षित वन(हे.) | संरक्षित वन (हे.) | राजस्व वन भूमि (हे.) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 6.376 | 80.182 | 5.897 | 92.455 |
| 2 | सरगुजा | – | 8.079 | 1.790 | 9.869 |
| | **योग** | **6.376** | **88.261** | **7.687** | **102.324** |

क्रमशः 2

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप |
|---|---|---|
| 3 | **वन क्षेत्र का विवरण –**<br>कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर द्वारा बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है। | 17 – 20 |
| 4 | **गैर वन क्षेत्र का विवरण** –<br>कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण हेतु वनमंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:– | 21 – 24 |

| क्र. | वनमंडल | गैर वनभूमि का विवरण (हे. में) |
|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 65.880 |
| 2 | सरगुजा | 51.728 |
| | योग | **117.608** |

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप |
|---|---|---|
| 5 | **प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर –**<br>प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है। | 510 – 519 |
| 6 | **वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 478 से 510)**– वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। | 478 – 510 |
| 7 | **प्रपत्र–4 में प्रस्ताव –**<br>प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत **765.65 करोड़** बतायी गई है। | 29 – 51 |
| 8 | **प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –**<br>बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे.वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर–रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का **विस्तृत टीप संलग्न है।** | 52 – 53 |
| 9 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –**<br>यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है। | 54 – 57 |
| 10 | **न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –**<br>प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है। | 58 – 63 |

क्रमशः 3

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 11 | **पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –**<br>भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की प्रति संलग्न है। | 60 – 65 |
| 12 | **वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) –**<br>आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वनमंडलवार निम्नानुसार है:–<br><table><tr><th>क्र.</th><th>वनमंडल</th><th>साईट क्वालिटी</th><th>विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>बलरामपुर</td><td>IVa & IVb</td><td>14551</td></tr><tr><td>2</td><td>सरगुजा</td><td>III & IV</td><td>578</td></tr><tr><td colspan="3">**योग**</td><td>**15129**</td></tr></table> | 66 – 79 |
| 13 | **कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –**<br>परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी, सरगुजा एवं बलरामपुर वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है। | 80 – 86 |
| 14 | **चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)–राजस्व वन क्षेत्र–**<br>प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता नही है। | 87 |
| 15 | **गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –**<br>प्रस्तावित परियोजना हेतु गैर वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। | 88 |
| 16 | **स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –**<br>आवेदित वन भूमि बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर –रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि बलरामपुर वनमंडल के धमनी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 889 में रकबा 134.910 हे., वनपरिक्षेत्र चांदो के कक्ष क्रमांक पी 3281 में रकबा 60.000 हे. एवं सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वनपरिक्षेत्र रामानुजनगर के राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 35 में 11.274 हे., कुल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 206.184 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 8,78,787.00/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है। | 89 – 107 (ए) |
| 17 | **वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –**<br>वैकल्पिक वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर एवं सूरजपुर वनमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। | 108 – 112 |

क्रमशः 4

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 18 | **अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –**<br>वनमंडलाधिकारी बलरामपुर, सरगुजा वनमण्डल एवं आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। | 113 – 114 |
| 19 | **अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण** – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है। | 115–116 |
| 20 | **अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –**<br>बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है। | 117–118 |
| 21 | **वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –**<br>आवेदित वन भूमि बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत 92.455 हे. एवं सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत 9.869 हे. वनभूमि कॉरीडोर परियोजना अंतर्गत अम्बिकापुर –रामानुजगंज–गढ़वा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–343 निर्माण के लिए वनभूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 102.324 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि बलरामपुर वनमंडल के धमनी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 889 में रकबा 134.910 हे., वनपरिक्षेत्र चांदो के कक्ष क्रमांक पी 3281 में रकबा 60.000 हे. एवं सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र रामानुजनगर के राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 35 में 11.774 हे., कुल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 206.184 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना भारत सरकार का होने के कारण मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। | 119 – 124 |
| 22 | **कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –**<br>प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है। | 125 – 126 |
| 23 | **रिक्लेमेशन प्लान –**<br>प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, सरगुजा, बलरामपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 127 – 128 |
| 24 | **माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)** –<br>प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 129 – 130 |
| 25 | **व्यवस्थापन प्लान –**<br>प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 131 – 132 |

क्रमशः 5

<table>
<tr><th>बिंदु क्र.</th><th>विवरण</th><th>संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या / टीप</th></tr>
<tr><td>26</td><td>वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –<br>भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा दिनांक 26.11.2022 एवं सरगुजा वनमण्डल द्वारा दिनांक 17.09.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी बलरामपुर एवं सरगुजा वनमण्डल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा दिनांक 21.12.2022 को प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।</td><td>133 – 149</td></tr>
<tr><td>27</td><td>ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –<br>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित कलेक्टर बलरामपुर, सरगुजा एवं सूरजपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>152 – 156</td></tr>
<tr><td>28</td><td>संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –<br>ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।</td><td>157 – 227</td></tr>
<tr><td>29</td><td>जिले की कुल वन भूमि(रकबा हे. में)–<br>जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बलरामपुर</td><td>305195.984</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सरगुजा</td><td>148878.991</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>454074.975</td></tr>
</table></td><td>228 – 229</td></tr>
<tr><td>30</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –<br>जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बलरामपुर</td><td>1684.238</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सरगुजा</td><td>3313.124</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>4997.362</td></tr>
</table></td><td>230 – 232</td></tr>
<tr><td>31</td><td>व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –<br>जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिले का नाम</th><th>कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे.में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बलरामपुर</td><td>10.729</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सरगुजा</td><td>64.589</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>75.318</td></tr>
</table></td><td>233 – 234</td></tr>
</table>

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 32 | **प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –**<br>मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयन 110 कि.मी. में प्रस्तावित है। जिसमें 62.700 कि.मी. के बाद 22.670 कि.मी. सेमरसोंत अभ्यारण्य क्षेत्र आता है, तद्पश्चात् 85.370 कि.मी. के बाद पुनः वनमण्डल बलरामपुर का कार्य क्षेत्र प्रारंभ होता है। सेमरसोंत अभ्यारण्य अंतर्गत 22.670 कि.मी. मार्ग इस प्रस्ताव में सम्मिलित नही किया गया है। इस तरह प्रस्तावित मार्ग सेमरसोंत अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत वन परिक्षेत्र राजपुर के ग्राम चांची जो 31.100 से 32.100 से 53.800 कि.मी. तक जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्र अंतर्गत आता है। इस तरह उक्त मार्ग निर्माण में 03 अंडरपास/ओव्हरपास बनाया जाना वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा आवेदित परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। 03 अंडरपास/ओव्हरपास निर्माण हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।<br>सरगुजा वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित नहीं है। वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वन मंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।<br>ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। | 235 – 237 |
| 33 | **15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन–**<br>खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 238 – 239 |
| 34 | **वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –**<br>वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर बलरामपुर का दिनांक 12.01.2022 से, कलेक्टर सूरजपुर का दिनांक 10.01.2022 से एवं कलेक्टर जिला सरगुजा का दिनांक 03.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 240 – 245 |
| 35 | **राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –**<br>राजस्व वन भूमि हेतु प्रकरण अंतर्गत कलेक्टर बलरामपुर का दि. 12.01.2022 से एवं कलेक्टर सरगुजा का दिनांक 03.02.2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 246 – 251 |
| 36 | **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –**<br>यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 252 – 255 |
| 37 | **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –**<br>यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 256 – 257 |
| 38 | **A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –**<br>आवेदित भूमि लाल रंग की मुरमी मिट्टी है जिसमें भू–क्षरण की संभावना नही है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 258 – 259 |

क्रमशः 7

| बिंदु क्र. | विवरण | संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप |
|---|---|---|
| 39 | **परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –**<br>परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। | 260 – 261 |
| 40 | **Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –**<br>केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है। | 262 – 263 |
| 41 | **पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण–**<br>बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है। | 264 – 265 |
| 42 | **वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत–**<br>वन्यप्राणी प्रबंधन की आवश्यकता नही होने संबंधित वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर, सरगुजा एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है। | 266 – 267 |
| 43 | **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण–**<br>प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। | 268 – 269 |
| 44 | **प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –**<br>प्रस्ताव में आवश्यक दस्तावेज/नक्शे संलग्न है। | 478 – 519 |

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेबसाईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

10.4.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–03/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर (नोडल)/सरगुजा वनमंडल, छत्तीसगढ़ ।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



o/c